IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : http://www.upavp.com E-mail : upavp@sancharnet.in

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में शिक्षण संस्थाओं के भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में शिक्षण संस्थाओं के भूखण्ड नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र संस्थाओं को नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी की निर्धारित तिथि अलग से सूचित की जायेगी। भूखण्डों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0) (अनुमानित)	वर्तमान आवासीय भूमिदर का 50 प्रतिशत (प्रति वर्गमी0)	कार्नर शुल्क (10 प्रतिशत)	लीजरेन्ट (10 प्रतिशत)	लीजरेन्ट व कार्नर शुल्क सहित आरक्षित भूमिदर (प्रति वर्गमी0)	स्कूल भूखण्ड का मूल्य (रू0 में)	पंजीकरण हेतु टोकन धनराशि कुल मूल्य का 10 प्रतिशत
1	03	SCH-02	16200.00	14000.00	-	1400.00	15400.00	249480000.00	24948000.00
2	03	SCH-01 Corner	16200.00	14000.00	1400.00	1540.00	16940.00	274428000.00	27442800.00
3	03	SCH-03 Corner	15900.00	14000.00	1400.00	1540.00	16940.00	269346000.00	26934600.00

नोट : उपरोक्त समस्त सम्पत्तियों में एफ0ए0आर0, अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज एवं अधिकतम ऊंचाई उप विधि के अनुसार है।

तालिका में उल्लेखित भूमिदर/मूल्य दिनांक **31.03.2014** तक प्रभावी भूमिदर के आधार पर आगणित है। पात्रता चयन के उपरान्त भूमिदरों में वृद्धि की दशा में नीलामी की दिनांक को प्रभावी भूमि दरों के आधार पर मूल्य निर्धारित होगा तथा तदानुसार भुगतान करना होगा।

पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, कार्यालय-संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-6, शास्त्रीनगर मेरठ एवं कार्यालय-उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, हॉल एच-1, वसुन्धरा गाजियाबाद से दिनांक **25.02.2014** से **10.03.2014** तक **रू0 1000.00** के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्रों सहित तथा आवेदन शुल्क **रू0 5000.00** का बैंक ड्राफ्ट जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" गाजियाबाद पर देय संलग्न कर दिनांक **25.03.2014** तक कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ के उक्त पते पर जमा कराये जा सकते हैं। अपूर्ण तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवास आयुक्त